भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2217
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**भारत में माध्यस्थम् और मध्यस्थता अवसंरचना को सुदृढ़ करना**

**2217. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश भर में माध्यस्थम् और मध्यस्थता केन्द्रों का ऐसा कोई व्यापक मूल्यांकन या मैपिंग की है जिसमें उनकी प्रचालनात्मक स्थिति, केसलोड क्षमता और क्षेत्रीय वितरण भी शामिल हो, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) सरकार द्वारा स्थापित माध्यस्थम् और मध्यस्थता केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं जिनमें इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (आईआईएसी), 'समाधान' और सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य निकायों जैसे संस्थानों के तहत ऐसे केन्द्र शामिल हैं ;
(ग) क्या मध्यस्थता अधिनियम, 2023 और संबंधित नीतिगत ढांचों के अंतर्गत टियर-।। और टियर-।।। शहरों में संस्थागत माध्यस्थम् और मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ;
(घ) क्षमता निर्माण, पैनल विकास और प्रौद्योगिकी समावेशन सहित माध्यस्थम् और मध्यस्थता अवसंरचना के विकास के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान कुल बजटीय आवंटन और वास्तविक व्यय कितना रहा है ; और
(ङ) क्या क्षेत्रीय या क्षेत्र-विशिष्ट माध्यस्थम् और मध्यस्थता केंद्र (जैसे, अवसंरचना, एमएसएमई या सार्वजनिक प्रापण संबंधी विवादों के लिए) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्धारण या मानचित्रण नहीं किया गया है।

**(ख) :** भारत सरकार ने, संस्थागत माध्यस्थम को सुकर बनाने हेतु एक स्वतंत्र, स्वायत्त तथा विश्व श्रेणी के निकाय के रूप में सृजन करने के प्रयोजन के लिए तथा केंद्र को राष्ट्रीय महत्व

के एक संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र की स्थापना का उपबंध करने हेतु, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है। केंद्र माध्यस्थम के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए विवाद समाधान मंच प्रदान करने के द्वारा पक्षकारों में विश्वास प्रेरित करने का उद्देश्य रखता है। केंद्र को देश में आदर्श माध्यस्थम संस्थान बनने के लिए परिकल्पित किया गया है, जिसके द्वारा माध्यस्थम के लिए संस्थागत ढांचे की गुणवत्ता के वर्धन के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के अलावा, केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अन्य माध्यस्थम या मध्यकता केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।

**(ग) :** मध्यकता अधिनियम, 2023 देश में मध्यकता विशेषकर संस्थागत मध्यकता के संवर्धन की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा 31, विवाद समाधान के अधिमानता ढंग के रूप में मध्यकता के संवर्धन के लिए तथा देश में मध्यकता सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत की मध्यकता परिषद् को एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय के रूप में स्थापित करने का उपबंध करती है। और, 03.05.2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक राष्ट्र स्तरीय मध्यकता सम्मेलन भारत के महान्यायवादी द्वारा विधि कार्य विभाग और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य मध्यकता को देशभर में विवाद तथा विरोध के समाधान के प्राथमिक ढंग के रूप में संवर्धित करना था। संस्थागत माध्यस्थम: विवाद समाधान के लिए प्रभावी ढांचा, 14.06.2025 को भारत सरकार द्वारा संस्थागत माध्यस्थम के लाभ, जो टीयर-2 और टीयर-3 नगरों में भी होंगे, के संवर्धन की दृष्टि से, आयोजित किया गया था।

**(घ) :** भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 24 के निबंधनों में, केंद्रीय सरकार नियमित रूप से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र को अनुदान जारी कर रही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के लिए कुल बजटीय आबंटन तथा वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

| वित्तीय वर्ष | बीई/आरई<br>(रकम हजार में) | व्यय<br>(रकम हजार में) |
|---|---|---|
| 2022-23 | 30000 | 1500 |
| 2023-24 | 37500 | 30000 |
| 2024-25 | 45000 | 37500 |
| 2025-26 | 35600 | -- |

**(ङ.) :** ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (सूक्ष्म और लघु उद्यम माध्यस्थम का संचालन) विनियम, 2024 को एमएसएमई से संबंधित माध्यस्थम के संचालन के लिए विरचित और अधिसूचित किया है।

**********